न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
007/2022(रसद) (GCMS 2022/133)	13.05.2022	07.09.2022

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये हितेश जोशी प्रवर्तन निरीक्षक, चित्तौड़गढ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

किशनलाल पिता सोहनलाल जाति रेगर उम्र 44 वर्ष निवासी सांवलियाजी कुढेरा रोड, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 998205566

विपक्षी

उपस्थिति :– प्रवर्तन अधिकारी — पैरोकार सरकार
एक तरफा — विपक्षी

प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी हितेश जोशी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 03.03.2022 विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को प्राप्त शिकायत के आधार पर सांवरियाजी कुरेठा रोड भदेसर स्थित किशनलाल पुत्र सोहनलाल रेगर की दुकान मय मकान का औचक निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण किशनलाल के विरूद्ध अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायत सही होना पाया गया। मौके पर जिला रसद अधिकारी के साथ हितेश जोशी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा परिसर का किशनलाल की मौजूदगी में निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रिफिलिंग वाहनों व छोटे सिलेण्डरों में होना पाया। उक्त कार्यवाही के दौरान मौके पर सांवरिया भारत एजेन्सी भदेसर को बुलाया गया। किशनलाल रेगर से गैस भंडारण एवं रिफिलिंग संबंधित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दस्तावेज मांगे गये परन्तु किशनलाल द्वारा इस संबंध में कोई भी दस्तावेज होना स्वीकार नहीं किया गया ना ही प्रस्तुत किया गया। मौके पर 60 गैस सिलेण्डर रिफिंल मोटर, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 5 किग्रा के चार अमानक खाली सिलेण्डर जरिये फर्द तैयार कर कब्जे में लिये गये तथा उसे सांवरिया गैस एजेन्सी वितरक भदेसर की सुपुर्दगी में दिया गया। जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों की तलपट्टी पत्रावली पर प्रस्तुत है। किशनलाल पुत्र सोहनलाल रेगर द्वारा घरेलू गैस के अवैध परिवन, अवैध भण्डारण व अवैध व्यापार का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। अन्त में प्रार्थना की गई की अभिग्रहित 60 घरेलू गैस सिलेण्डर, 5 किग्रा के चार अमानक खाली सिलेण्डर, 1 रिफिलिंग मोटर हाई–टोन, 1.5 एच.पी. दोनो सिरो पर पाईप मय वॉल्व व 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा को राजसात करने की कृपा करावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 07.09.2022 को विपक्षी बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई।

इस पर दिनांक 07.09.2022 को हाजिर पैरोकार सरकार प्रवर्तन अधिकारी ने प्रकरण में बहस पत्रावली का निवेदन किया गया। इस पर हाजिर पैरोकार सरकार को एक तरफा सुना गया। हाजिर पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक अथवा अन्य कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है। दिनांक 03.02.2022 को विपक्षी की जांच करने पर विपक्षी के कब्जे में 60 घरेलू गैस सिलेण्डर अनाधिकृत पाए गए जिनका कोई दस्तावेज विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक/अन्य उपयोग करना पाया गया जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गैस सिलेण्डर मय गैस व अन्य सामग्री राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली एक तरफा का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विपक्षी जांच करने पर मौके पर विपक्षीगण के कब्जे में 60 घरेलू गैस सिलेण्डर अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाया गया तथा मौके पर उक्त गैस सिलेण्डरों एवं सामग्री के संबंध में वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। विपक्षी न्यायालय में भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है ऐसी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

स्थिति में पत्रावली पर विपक्षी की और से किसी भी प्रकार खण्डन रिकार्ड पर नहीं है, ऐसी स्थिति में विपक्षी द्वारा गैस सिलेण्डरों से अवैध गैस रिफलिंग कर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया, जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। विपक्षीगण द्वारा गैस सिलेण्डरों का अपनी दुकान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विपक्षी से जब्त शुदा **LPG** गैस के घरेलू श्रेणी का कुल 60 घरेलू गैस सिलेण्डर, 5 किग्रा के चार अमानक खाली सिलेण्डर, 1 रिफिलिंग मोटर हाई–टोन, 1.5 एच.पी. दोनो सिरो पर पाईप मय वॉल्व व 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा एवं गैस सिलेण्डर जिसमें भरी हुई कुल **655.02 Kg.** गैस राजसात **(Confiscate)** किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तक निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 03.03.2022 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा शिकायत के आधार पर सांवरियाजी कुरेठा रोड भदेसर स्थित किशनलाल पुत्र सोहनलाल रेगर की दुकान मय मकान पर की गई कार्यवाही में जब्त शुदा **LPG** गैस के घरेलू श्रेणी का कुल 60 घरेलू गैस सिलेण्डर, 5 किग्रा के चार अमानक खाली सिलेण्डर, 1 रिफिलिंग मोटर हाई–टोन, 1.5 एच.पी. दोनो सिरो पर पाईप मय वॉल्व व 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा एवं गैस सिलेण्डर जिसमें भरी हुई कुल **655.02 Kg.** गैस राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डरों एवं अन्य सामग्री के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 07.09.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

-S/D-

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official